न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018/निगरानी

निगरानी-4069/2018/सीधी/भू०रा०

श्री .... द्वारा आज दि० 3-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-7-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-7-18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

S.L. Dhakad Adv

S.L. Dhakad Adv 3/7/18

आवेदकगण -

1- नीतिराज पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल अग्निहोत्री

2- पूर्णेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 पन्नालाल अग्निहोत्री

3- शिवप्रसाद पुत्र स्व0 संतप्रसाद अग्निहोत्री

4- सतीश पुत्र स्व0 संतप्रसाद अग्निहोत्री

5- प्राणनाथ पुत्र स्व0 मोतीलाल अग्निहोत्री

6- बालेन्द्र पुत्र स्व0 मावीश्वर प्रसाद

7- शिवेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 गावीश्वर प्रसाद

8- सरलादेवी पत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र प्रसाद

9- आयुश अग्निहोत्री पुत्र स्व0 देवेन्द्र प्रसाद

10- दिव्यांशु अग्निहोत्री पुत्र स्व0 देवेन्द्र प्रसाद नबालिक उम्र 12 वर्ष द्वारा बली सरपरस्त माता, सभी निवासी ग्राम दुआरी थाना, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

बनाम

अनावेदकगण -

V. K. Shukla

1- विश्वनाथ अग्निहोत्री पुत्र स्व0 बसंत प्रसाद

2- श्रीमती शकुन्तला अग्निहोत्री विधवा स्व0 श्री प्रभुनाथ अग्निहोत्री

3- कार्तिकेय पुत्र स्व0 श्री प्रभुनाथ अग्निहोत्री निवासीगण ग्राम दुआरी, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

4 to 13. Ramsevak Sharma

4- इन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व0 बहादुर सिंह,

5- रामप्रताप सिंह पुत्र स्व0 बहादुर सिंह,

6- सुरेश सिंह पुत्र स्व0 बहादुर सिंह,

7- बुद्धराज सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोक सिंह,

8- अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोक सिंह,

9- राभसाह सिंह पुत्र स्व0 सुखलाल सिंह,

10- कमलनारायण सिंह पुत्र स्व0 सुखलाल सिंह

11- मांगशाह सिंह पुत्र स्व0 सुखलाल सिंह,

12- इन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व0 सुखलाल सिंह,

13- महावीर सिंह पुत्र स्व0 धीरसिंह पिता स्व0 सुबेदार सिंह, सभी निवासी साकिन मौजा झा[illegible] थाना, तहसील मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा **के प्रकरण क्रमांक 237/2017-18/अपील।**

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, आवेदकगण एवं अनावेदकगण वंशवृक्ष या खानदारी सजरा अग्निहोत्री परिवार का निम्न प्रकार है:-

परमेश्वरी प्रसाद

मृत्यजय	नामदेव	वीरभद्र

पन्नालाल	सन्तप्रसाद	बसंत प्रसाद	मोतीलाल	गवीश्वर प्रसाद		
नीतराज पुणेन्द्रसाद	शिवप्रसाद सतीश	विश्वनाथ	प्रभुनाथ	प्राणनाथ	बालेन्द्र शिवेन्द्र	देवे[illegible]
मौजूद मौजूद	मौजूद मौजूद	मौजूद	कार्तिकेय	मौजूद	मौजूद मौजूद	प[illegible]
संयुक्त	संयुक्त	शकुंतला मौजूद			शरला आयूश दिव्यां[illegible]	
					मौजूद मौजूद मौजू[illegible]	

उपरोक्त खानदानी सजरा ग्राम पंचायत दुआरी सरपंच द्वारा मय शपथपत्र जारी किया गया, जो पृथक से संलग्न है।

2- यहकि, मौजा छपरी, प.ह. खजुरिहा, तहसील मझोली, जिला सीधी में [illegible] सर्वे क्रमांक 25, 30, 125, 183, 298, 284 उपरोक्त उल्लेखित [illegible] क्रमांक 1 के संयुक्त परिवार परमेश्वरी प्रसाद के स्वामित्व की [illegible] परमेश्वरी प्रसाद के तीन पुत्र मृत्यंजय, बरदीन उर्फ बामदेव, वीरभद्र संयुक्त परिवार था, जिसका करता-धरता बरमदीन उर्फ बामदेव द्वारा परमेश्वरी प्रसाद की मृत्यु के बाद करता-धरता होने के कारण उपरोक्त विवादित आराजी अपने नाम सरकारी अभिलेख में दर्ज करा ली गयी। जो उपरोक्त विवादित आराजी बरमदीन उर्फ बामदेव के नाम से दर्ज चली आ रही थी.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4069/2018/सीधी/भू.रा.

नीतिराज विरूद्ध विश्वनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-04-2019	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 28-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक विश्वनाथ द्वारा नायब तहसीलदार उपतहसील मडवास के पारित नामातंरण आदेश दिनांक 03-08-2015 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी मझौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 03-10-2017 को आदेश पारित कर समय सीमा बाह्य होने के कारण अपील अस्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त् आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया,जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-06-2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 4 लगायत 13 के तर्क श्रवण किये गये तर्कों पर विचार किया गया । अनावेदक क्रमांक1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों का अवलोकन किया गया । मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयों के एकमात्र भूमि स्वामी वरमदीन उर्फ वामदेव थे । सरपंच ग्राम पंचायत दौआरी के द्वारा दिनांक 05-09-14 को यह प्रमाणित किया गया है कि वरमदीन उर्फ वामदेव अग्निहोत्री है । भू-अभिलेखों में भी यही प्रविष्टि है।	

आवेदक के बाबा मृत्युन्जय प्रसाद और वीरभद्र विवादित आराजीयों के भूमिस्वामी नहीं थे । इस कारण आवेदकगण को हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालयों में भी आवेदकगण पक्षकार नहीं थे । इस प्रकार निगरानीकर्तागण किसीप्रकार हितबद्ध पक्षकार नहीं है और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार रहें है । इसीलिये वरिष्ठ न्यायालय समुचित आधारों के अभाव में उन्हें पक्षकार बनाया जाना न्याय संगत नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-06-2018 में भी उक्त तथ्यों पर ही विश्लेषण कर आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता परिलक्षित न होने के कारण हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । फलस्वरूप अपर आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-06-2018 को स्थिर रखा जाता है । तथा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(बी.एम.शर्मा)
सदस्य